

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जून, 2021 आषाढ़ 8, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

प0आ0-211

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की धनराशि को, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करना अपेक्षित है, माह जून, 2021 के लिये, प्ररूप जीएसटीआर—7 में नियत दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता हेतु, उस अविध के लिए जिसकें दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रूपये प्रतिदिन की धनराशि से अधिक है, का अधित्यजन करती है:

परन्तु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल संदेय विलंब फीस की धनराशि ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माह जून, 2021 हेतु नियत दिनांक तक, प्ररूप जीएसटीआर—7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रूपये की धनराशि से अधिक है, अधित्यजित रहेगी।

> आज्ञा से, संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notificiation no. 594 / XI-2–21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(189)-2021, dated June 29, 2021:

No. 594 / XI-2–21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(189)-2021 *Dated Lucknow, June* 29, 2021

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

By order, SANJIV MITTAL, Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 170 राजपत्र-2021-(336)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 सा० राज्य कर-2021-(337)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।